वित्त निर्देश 31/2010

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 211अ/वित्त/नियम/चार/2010 रायपुर, दिनांक 31.07.2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषयः-शासकीय सेवकों से सेवानिवृत्ति उपरांत वसूली ।

संदर्भः- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 115/159/वित्त/नियम/चार/2008, दिनांक 27.05.2008

कृपया वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन का अवलोकन करें । इस ज्ञापन में स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि शासकीय सेवकों के वेतन से की जाने वाली अधिक भुगतान की समस्त वसूली प्रकरणों का निपटारा उसके सेवानिवृत्ति के 24 माह पूर्व अनिवार्य रूप से कर लिये जाये । इस हेतु सेवा अवधि की वेतन निर्धारण प्रकरणों को संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन एवं कतिपय विभागों के लिये इस हेतु अधिकृत राज्य वित्त सेवा के अपर संचालक/संयुक्त संचालकों द्वारा किये गये जांच एवं सत्यापन अनुरूप वेतन का नियतन सुनिश्चित किया जाये ।

2 उक्त ज्ञापन में यह भी निर्देशित किया गया है कि भविष्य में किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध किसी प्रकार की वित्तीय वसूली के पूर्व अनिवार्य रूप से **''कारण बताओं नोटिस''** दिया जावे तथा निर्धारित अवधि में दिये गये नोटिस के प्रत्युत्तर पर विचारोपरांत ही स्पष्ट कारणों का लेख करते हुये वसूली आदेश जारी किया जावे ।

3 वित्त विभाग के ध्यान में लाया गया है कि विभागों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का समुचित पालन नहीं किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप शासकीय सेवक के सेवानिवृत्ति पश्चात वसूली की स्थिति निर्मित हो रही है तथा सेवानिवृत्त शासकीय सेवक द्वारा उक्त वसूली के विरूद्ध न्यायालयों में याचिकायें प्रस्तुत की जा रही है । एक प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने आदेश में यह टिप्पणी की गई है कि **''विभिन्न विभागों द्वारा शासकीय सेवक द्वारा किये गये आर्थिक अपवंचन या वित्तीय अनियमितताओं को छोड़कर अन्य प्रकरणों में भी शासकीय सेवकों के सेवानिवृत्ति के**

पश्चात वसूली आदेश जारी किये जा रहे हैं, जो अनियमित है'' इससे स्पष्ट है कि शासकीय विभागों द्वारा उपरोक्त कण्डिका–2 के निर्देशों का समुचित पालन नहीं किया जा रहा है ।

4 राज्य शासन इसे अत्यंत गंभीरता से लेती है तथा पुनः निर्देशित करती है कि सभी कार्यालय प्रमुख संदर्भित ज्ञापन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें तथा शासकीय सेवक के सेवानिवृत्ति के पूर्व समस्त वसूली प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें । इसकी अवहेलना के फलस्वरूप किसी प्रकरण में शासकीय सेवक के सेवानिवृत्ति के पश्चात वसूली की स्थिति निर्मित होने पर इसके लिये जिम्मेदारी निर्धारित की जाकर संबंधित के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय सिंह)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 211ब/वित्त/नियम/चार/10 रायपुर, दिनांक 31.07.2010

<u>प्रतिलिपि:-</u>

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. सचिव वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, मंत्रालय, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर की ओर वित्त विभाग की बेबसाइट (www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग